OFFICE OF
CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

आदेश

विषय :– श्री जय कुमार, निर्वाचन कानूनगो की सेवाएं समाप्त करने बारे।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त सिफारिश के आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन 2012/1एए/4321, दिनांक 1.8.2012 द्वारा श्री जय कुमार को निर्वाचन कानूनगो के पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, जिसमें शर्त संख्या 1 में स्पष्ट किया गया था कि कर्मचारी दो वर्ष तक की अवधि तक परखकाल पर रहेगा और यदि इस अवधि के दौरान कर्मचारी का कार्य व आचरण ठीक नही पाया गया, तो उस सूरत में कर्मचारी की सेवाएं बिना किसी नोटिस या पे के समाप्त कर दी जायेंगी। उक्त आदेश की पालना में श्री जय कुमार ने दिनांक 7.8.2012 को निर्वाचन कानूनगो के पद पर जिला निर्वाचन कार्यालय, सोनीपत में डियूटी ज्वाईन की थी। इस प्रकार कर्मचारी दिनांक 6.8.2014 तक परखकाल की अवधि पर कार्यरत था।

इसी अवधि में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत ने अपने पत्र क्रमांक निर्वाचन 2014/1258, दिनांक : 29.5.2014 द्वारा भेजी गई कर्मचारी की अनुपस्थिति पर इस कार्यालय के पत्र कमांक निर्वाचन 2014/4एए–6586, दिनांक 16.6.2014 द्वारा पत्र में दिए गए बिन्दुओं द्वारा उसकी अनुपस्थिति बारे सूचना मांगी गई थी। इस पत्र के संदर्भ में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत के पत्र कमांक निर्वाचन 2014/1425, दिनांक : 7.7.2014 द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिस अनुसार कर्मचारी दिनांक 10.5.2014 से लगातार कार्यालय से अनुपस्थित चल रहा है। कर्मचारी ने दिनांक 5.5.2014 को कार्यालय में अपनी पत्नी की बीमारी के कारण दिनांक 12.5.2014 से 31.5.2014 तक अर्जित अवकाश बारे आवेदन प्रस्तुत किया। नगराधीश महोदय द्वारा दी गई टिप्पणी दिनांक 07.05.2014 कि "कर्मचारी को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाए," जिसकी सूचना कार्यालय सहायक द्वारा उसी दिन मौखिक रूप से कर्मचारी को दे दी गई थी तथा यह भी सूचित किया गया था कि अर्जित अवकाश मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत किया जाता है, लेकिन वह नगराधीश सोनीपत के समक्ष उपस्थित नही हुआ। लोक सभा आम चुनाव 2014 के सम्बन्ध में दिनांक 10.05.2014 को गणना स्टाफ की ट्रेंनिग आयोजित की गई थी, जिसकी सूचना भी निर्वाचन उप तहसीलदार तथा सहायक द्वारा कर्मचारी को ट्रेनिंग से पहले दी गई थी, लेकिन कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नही हुआ तथा उसी दिन से लगातार अनुपस्थित चल रहा है।

इसके अतिरिक्त कर्मचारी के पत्र दिनांक 30.5.2014 व 30.6.2014 जोकि चुनाव कार्यालय के डायरी नम्बर 380, दिनांक 11.7.2014 द्वारा प्राप्त हुए, में उसके द्वारा अपनी पत्नी की बीमारी के मैडीकल ट्रीटमैन्ट के दस्तावेज पहले ही आवेदन के साथ अटैच किए बताए गए हैं, जोकि बिल्कुल गल्त है। क्योंकि उपायुक्त, सोनीपत की रिपोर्ट अनुसार कर्मचारी ने दिनांक 24.4.2014 से 29.4.2014 तक के अतिरिक्त कोई भी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया। ऐसा करके उसने विभाग को गुमराह किया है।

इसके अतिरिक्त कर्मचारी ने चुनाव सम्बन्धी आवश्यक सामग्री एवं मोहरों बारे भी किसी को नही बताया, जिस कारण मतगणना के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इससे सिद्ध होता है कि कर्मचारी अपनी मर्जी से बिना किसी सूचना/चार्ज दिए ही कार्यालय से पत्नी की बीमारी की आड़ में अनुपस्थित चल रहा है। यहां तक कि कार्यालय में उच्च अधिकारी के बुलाने पर भी कर्मचारी उनके समक्ष उपस्थित नही हुआ, जो उसके कदाचार एवं अनुशासनहीनता को व्यक्त करता है। कर्मचारी द्वारा उसकी पत्नी की बिमारी का जो प्रमाण पत्र दिया गया, उसके अनुसार पत्नी का ईलाज दिनांक 21.4.2014 से 29.4.2014 के मध्य हो चुका था।

उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत ने अपने यादी कमांक नि0–2014/1314 दिनांक 11.6.2014 पत्र वाहक के माध्यम से कर्मचारी के द्वारा दिए गए घर के पते पर संदर्भ भेजा गया था कि वह तुरन्त कार्यालय में हाजिर हो, ताकि उसकी अनुपस्थिति बारे पता लगाया जा सके। लेकिन पत्रवाहक की रिपोर्ट अनुसार कर्मचारी के मकान पर ताला लगा मिला और पत्रवाहक ने रिपोर्ट की कि कर्मचारी के भाई ने पत्र लेने से मना कर दिया और पत्र की प्रति उसके मकान पर चस्पा कर दी गई है।" इसके अतिरिक्त उसका दूरभाष भी बन्द चल रहा था।

अतः उक्त अनुसार कर्मचारी के आदेश होने पर भी उसका अधिकारी के सम्मुख उपस्थित न होना, उसकी पत्नी की बीमारी की आड़ में कार्यालय से अनुपस्थित रहने, निर्वाचन कार्य में बाधा पहुचाने, झूठी रिपोर्ट अनुसार कार्यालय को गुमराह करने तथा उसके नियुक्ति आदेश के पैरा नं0 1 में दो वर्ष के परखकाल की शर्त कि यदि आपका कार्य तथा आचरण ठीक नही पाया गया, तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, के अनुसार उसकी सेवांए तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जानी बनती थी, परन्तु फिर सक्षम अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 1.9.2014, जो इस कार्यालय के आदेश पृ0 कमांक निर्वाचन 2014/4एए–8407, दिनांक 1.9.2014 द्वारा जारी किए गए, में उसको 10 दिन के अन्दर–2 कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा जारी किया गया।

Office: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh – 160017 (India) Tel: 0172-2701200, 2728936, 2701362 Fax: 0172-2706556
कार्यालयः 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर 17–बी, चण्डीगढ़ –160017(भारत) दूरभाषः 0172-2701200, 2728936, 2701362 फैक्सः 0172-2706556
E-mail: hry_elect@yahoo.com Website: www.ceoharyana.nic.in

इसके उपरान्त उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत के पत्र क्रमांक निर्वाचन 2014/1747, दिनांक : 8.9.2014 द्वारा सूचित किया कि उक्त नोटिस श्रीमति प्रेम देवी, सेवादार के माध्यम से कर्मचारी के घर के पते (श्री जय कुमार, निर्वाचन कानूनगो पुत्र श्री गुगन सिंह, C/o श्री ईश्वर सिंह, मयूर विहार, गली नं0 4ए, गोहाना रोड, सोनीपत) भेजा गया था। सेवादार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि कर्मचारी घर पर नही था और उसके भाई ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया । उसने यह नोटिस कर्मचारी के घर पर चस्पा कर दिया था और निर्वाचन तहसीलदार ने कर्मचारी को उसके दूरभाष नं0 09396863545 पर भी सूचित कर दिया था। लेकिन कर्मचारी के द्वारा उक्त नोटिस का जवाब इस कार्यालय में नही भेजा गया। परन्तु कार्यालय द्वारा न्याय के दृष्टिगत इसके उपरान्त कर्मचारी को इस कार्यालय के पत्र कमांक निर्वाचन 2014/4एए–9398, दिनांक 23.9.2014 द्वारा पंजीकृत डाक तथा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत के कार्यालय के माध्यम से पत्र भेजकर उसको अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय पुनः प्रदान किया गया और यह भी निर्देश दिए गए कि यदि फिर भी उसका जवाब प्राप्त नही होता है तो उस सूरत में कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने बारे एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उक्त पत्र की प्रति उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत द्वारा अपने पृ0 कमांक 1880, दिनांक 24.9.2014 द्वारा ई–मेल के माध्यम से कर्मचारी को दी गई थी।

उक्त वर्णित स्थिति को मध्यनजर रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारी कार्यालय में डियूटी पर हाजिर नही होना चाहता तथा उसने कार्यालय में कोई जवाब प्रस्तुत नही किया और ना ही सह स्वयं कार्यालय में हाजिर हुआ। अतः उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए कर्मचारी की सेवाए तुरन्त प्रभाव से dismiss की जाती हैं।

(जयबीर सिंह आर्य)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।

स्थान : चण्डीगढ़,
दिनांक :9 जनवरी, 2015.
पंजीकृत:

पृ0 कमांक निर्वाचन 2015/1एए– 219 दिनांक : 9 जनवरी, 2014

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:–

1. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत को भेजते हुए अनुरोध है कि आदेश की प्रति श्री जय कुमार के स्थाई निवास स्थान पर पत्र वाहक के माध्यम से भिजवाकर मूल पावती इस कार्यालय में अवश्य तथा उपलब्ध कर्मचारी के ई–मेल पते पर भिजवायें।
2. श्री जय कुमार, निर्वाचन कानूनगो को जिला निर्वाचन कार्यालय, सोनीपत के माध्यम से।
3. 2एए, 3एए, 4एए, बजट शाखा तथा प्रोग्रामर।

(जयबीर सिंह आर्य)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।

स्थान : चण्डीगढ़,
दिनांक :9जनवरी, 2014.

OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

ORDER

Whereas Shri Mahender Kumar, Dy. Supdt., Shri Surinder Kumar & Shri Bhim Singh, Assistant were issued notice regarding repatriation to their parent department i.e. Haryana Vidhan Sabha in light of Chief Secretary instructions issued vide letter No. 45/10/1999-5GSI dated 12.03.2009 vide this office letter No. Election 2009/1AA/2714-2716 dated 26.03.2009.

Whereas Shri Mahender Kumar, Dy. Supdt., Shri Surinder Kumar and Bhim Singh, Asstt. submitted their reply to the show cause notice on 4.6.2009, 29.5.2009 & 25.5.2009 respectively. Reply to the notice was examined by the Competent Authority and the matter was discussed in the meeting held in the office of Chief Secretary on 29.12.2009 and kept pending till the final proceeding of the meeting is received.

Now, whereas the Chief Secretary to Govt. Haryana vide its letter No. 45/10/1999-5GSI dated 19.02.2015 has decided that the employees of Haryana Vidhan Sabha/ High Court/ Distt. Court who have already been transferred to other departments may not be Re-patriated to their parent unit and further decided that from now onwards, no employee of Haryana Vidhan Sabha/ High Court/ Distt. Court should be taken/ Appointed on transfer basis in the Departments in the State Government.

Whereas, consequent upon the decision taken by Chief Secretary, Haryana vide letter referred above, the notice for repatriation issued to Shri Maehender Kumar, Dy. Supdt., Sh. Surinder Kumar and Shri Bhim Singh, Asstt. to Haryana Vidhan Sabha has become infructuous and hence is hereby withdrawn.

Place: Chandigarh,
Dated: 26.02.2015.

(Jaibir Singh Arya)
Addl. Chief Electoral Officer, Haryana.

Endst. No. Election 2015/1AA- 1310 Dated: Chandigarh, the 13 March, 2015.

A copy of above is forwarded to the Chief Secretary to Government of Haryana with reference to their letter No. 45/10/1999-5GSI dated 19.02.2015 for kind information.

Asstt. Chief Electoral Officer,
for: Addl. Chief Electoral Officer, Haryana.

Endst. No. Election 2015/1AA- 1311 Dated: Chandigarh, the 13 March, 2015.

A copy of above is forwarded to the Secretary, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh for information and necessary action.

Asstt. Chief Electoral Officer,
for: Addl. Chief Electoral Officer, Haryana.

Endst. No. Election 2015/1AA- 1312 Dated: Chandigarh, the 13 March, 2015.

A copy of above is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Sh. Mahender Kumar, Deputy Superintendent., Head Office, Chandigarh.
2. Sh. Surinder Kumar, Assistant, Head Office, Chandigarh.
3. Sh. Bhim Singh, Assistant, Election Store, Ambala.
4. Accounts Branch/Budget Branch/2AA/3AA & 4AA.
5. Programmer, Head Office, Chandigarh.

Asstt. Chief Electoral Officer,
for: Addl. Chief Electoral Officer, Haryana.

Office: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh – 160017 (India) Tel: 0172-2701200, 2728936, 2701362 Fax: 0172-2706556
कार्यालय: 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर 17-बी, चण्डीगढ़ -160017(भारत) दूरभाष: 0172.2701200, 2728936, 2701362 फैक्स: 0172.2706556
E-mail: hry_elect@yahoo.com Website: www.ceoharyana.nic.in
C:\DP\D. P. Asstt 2014\DFA LEGAL 2011- D. Pal.doc